न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :– 08/2024
जीसीएमएस नम्बर :–2024/33

प्रार्थी

प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

पवन जाट पुत्र बीरबल राम (एफबीओ/मालिक), फर्म मैसर्स चौधरी रसगुल्ला एण्ड मावा भण्डार, बिजलीघर के सामने, पीपाड़ सिटी, जोधपुर। निवासी वार्ड नं0 1, पीपेरा, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर।

उपस्थिति

अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–:आदेश:– दिनांक :– 12.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.11.2023 को प्रवीण चौधरी बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग मैसर्स चौधरी रसगुल्ला एण्ड मावा भण्डार, बिजलीघर के सामने, पीपाड़ सिटी, जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर विक्रेता की हैसियत से पवन जाट उपस्थित मिले तथा आम जनता को घी (लूज) आदि विक्रय कर रहे थे। विक्रेता से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई रजि0 22221074001985 एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। डेयरी का निरीक्षण करने घी (लुज) करीबन 15 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत जांच कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता/मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 550/– नगद देकर 800 ग्राम वास्ते नमूनीकरण हेतु एक साफ सुखे खाली स्टील भगोने में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त घी को हिला मिलाकर कर एक रूप कर चार प्लास्टिक की बोटल्स में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर बोटल टाइट को एयर टाईट बन्द कर उनके ऊपर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–3901 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेब[illegible]या। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं काग[illegible] से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–3901 हस्ताक्षर युक्त अभिहित [illegible]नियमानुसार प्रत्येक नमू[illegible]सिर से होते

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:28 IST
Reason: SelfAttested

हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–3901 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 06.11.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–3901 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 04.11.2023 एंव चतुर्थ भाग दिनांक 04.11.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 1559–1560 दिनांक 01.12.2023 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. / 2950 / एक्ट / 2023 / 2993 दिनांक 16.11.2023 पवन जाट को प्रेषित करते हुए एक मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई, जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (लूज) का नमूना मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (SubStandard/Does not conform) का होना पाया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस विधिवत् तामिल हुआ। अप्रार्थी को जवाब व बहस हेतु अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी का जवाब व बहस का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 12.06.2024 को रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के दुकान से घी(लूज) का सैम्पल लिया गया जो अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थी पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:28 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी पवन जाट की मैसर्स चौधरी रसगुल्ला एण्ड मावा भण्डार, बिजलीघर के सामने, पीपाड़ सिटी, जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु घी (लूज) का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (लूज) में **Foreign fat present** होने के कारण उक्त नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी पवन जाट पुत्र बीरबल राम पर शास्ती रूपये 5,000/– अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. पवन जाट पुत्र बीरबल राम (एफबीओ/मालिक), फर्म मैसर्स चौधरी रसगुल्ला एण्ड मावा भण्डार, बिजलीघर के सामने, पीपाड़ सिटी, जोधपुर। निवासी वार्ड नं0 1, पीपेरा, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:28 IST
Reason: SelfAttested